



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258500
CG-DL-E-06112024-258500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]
No. 310]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2024/कार्तिक 15, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2024/KARTIKA 15, 1946

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2024

सं. 37/1/(III)/2024/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 6 नवम्बर, 2024 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा लोक सभा को सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करती हूं।

6 नवम्बर, 2024

द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति"

पी. सी. त्रिपाठी, अपर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2024

No. 37/1/(III)/2024/T.—The following order by the President dated the 6th November, 2024 is published for general information: -

“ In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 25th November, 2024 at 11.00 A.M.

November 6, 2024

DROUPADI MURMU, President”

P. C. TRIPATHY, Addl. Secy.